न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 72/2020

रणजीत सिंह पुत्र रामेश्वरलाल जाति जाट निवासी जवाहर नगर किसान कालोनी नवलगढ रोड, सीकर तहसील व जिला सीकर

–वादी–

बनाम

1. दल्लाराम पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी ग्राम पिपराली तहसीली व जिला सीकर
2. गोकुल पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पालड़ी तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर
3. उप पंजियक सीकर
4. भूमिधारक तहसीलदार सीकर

– प्रतिवादीगण –

दावा बाबत बंटवारा, उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 53,88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित – वकील वादीगण – श्री प्रभातीलाल
वकील प्रतिवादीगण – एक्स पार्टी

निर्णय

दिनांक : 1.09.2022

वकील वादीगण ने एक दावा पेश किया । जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम पिराली तहसील व जिला सीकर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 367 रकबा 1.29 है0 वाके ग्राम अवस्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की कृषि भूमि के दक्षिण में खसरा नम्बर 366 रकबा 2.80 है0 अवस्थित है जिसमें वादी पूर्व में 1/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 2 4/5 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार रहे हैं। जिन्होने

प्रतिवादी संख्या 1 से कृषि भूमि खसरा नम्बर 367 में से 0.0613 है0 भूमि खसरा नम्बर 368 के दक्षिणी पश्चिमी कोने से प्रारम्भ होकर पश्चिमी सींव के सहारे सहारे 15 फिट चौड़ाई में खसरा संख्या 366 की उततरी सीकर तक क्रय कर कब्जा वास्तविक एवं व्यवहारिक प्राप्त कर लिया था तथा उसे उपयोग उपभोग करने लग गये तथा अलग सींव नींव कायम कर ली। परन्तु राजस्व रिकार्ड में नाम प्रतिवादी संख्या 1 का ही चला आ रहा है जिसके कारण भविष्य में कभी भी विवाद होने की सम्भावना बनी रहती है। प्रतिवादी संख्या 1 की वृद्वावस्था हो चूकी है जिसके 100 वर्ष पूरे होने पर भविष्य में उत्तराधिकार का नामा0 प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान के नाम स्वीकृत होने की स्थिति में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 के खातेदारी अधिकारों को डिफीट लगने की पूर्ण सम्भावना है। प्रतिवादी संख्या 1 ने कोरोना महामारी के कारण तहसील कार्यालय में उपस्थित होने से मना कर दिया जिसके कारण वाद करना आवश्यक हुआ। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी। इसलिये उन्हे राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज करवाने का कानूनन अधिकार है। उक्त भूमि रास्ता प्रयोजन हेतु क्रय की गई थी। प्रतिवादी संख्या 2 ने कृषि भूमि खसरा नम्बर 366 में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा बेचान कर दिया जिस कारण खसरा नम्बर 367 में से क्रय की गई भूमि को भी बेचान करने पर आमादा है। यदि उसने 0.0613 है0 में से अपना हिस्सा विक्रय कर दिया तो वादी को असीम क्षति होगी। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना आवश्यक हुआ। अतः दावा स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को खसरा नम्बर 367 में से क्रय की गई भूमि रकबा 0.0613 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं अलग खसरा नम्बर डालकर नक्शा में तरमीम की जावे।

वाद प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण बावजूद विधिवत तामिल के अनुपस्थित रहे। वादी ने वाद डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड प्रदर्श–1 के अनुसार विवादित खसरा नम्बर 367 की खातेदारी दल्लाराम पुत्र कालू के नाम से दर्ज है। प्रदर्श– 3 विक्रय पत्र के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा खसरा नम्बर 367 में से प्रतिवादी संख्या 1 से रकबा 00.613 है0 भूमि रास्ते के लिये क्रय किया जाना प्रमाणित है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि यह भूमि रास्ते के लिये क्रय की जा रही है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में वर्तमान में भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम पिपराली तहसील व जिला सीकर की विवादित भूमि खसरा नम्बर 367 रकबा 1.2900 है0 में से रकबा 0.0613 है0 का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। भूमि चूंकि रास्ते के लिये क्रय की गई थी इसलिये भूमि की किस्म गै0 मू0 रास्ता दर्ज किया जाकर अलग खसरा नम्बर डाले जाने के आदेश दिये जाते हैं। नक्शा ट्रेस में भी गै0मू0 रास्ते के रूप में तरमीम की जावे। तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में अमल दरामद एवं तरमीम करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 1.9.22 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया ।

(गरिमा लाटा)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर